<u>न्यायालयः जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम सह विशेष न्यायाधीश।</u>
<u>वैशाली, हाजीपुर।</u>

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–3169/2025
परिवाद पत्र सं0–829/2022
धारा–498(A) I.P.C. & 4 D.P. Act.

Web Copy not Official

18.04.2026 प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक अभय कुमार उर्फ अभय पासवान की ओर से परिवाद पत्र सं0–829/2022 में गिरफ्तारी की आशंका से दाखिल किया गया है। प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन की प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक, वैशाली, हाजीपुर को प्राप्त है। प्रस्तुत वाद में उभय पक्षों को सुना।

संक्षेप में प्रस्तुत वाद इस प्रकार से है कि परिवादी सिंधु देवी द्वारा अभय पासवान, रामू पासवान, सुनीता देवी, सुदीन पासवान, सुलेखा देवी एवं मंजू देवी के विरूद्ध परिवाद पत्र मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, वैशाली, हाजीपुर के न्यायालय मे इस आशय का दाखिल किया गया कि "दिनांक 10.11.2018 को परिवादनी का विवाह अभय पासवान से हुआ था। दोनो के दाम्पत्य जीवन से एक बच्ची भी है। बाद मे सभी अभियुक्तगण परिवादनी से दो लाख रूपया दहेज मे मॉगने लगे तथा परिवादनी के साथ मारपीट कर उसका स्त्रीधन लेकर परिवादनी को उसके मायके भेज दिया।"

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि आवेदक द्वारा पूर्व मे अग्रिम जमानत आवेदन सं0–1553/2025 दाखिल किया गया था जिसको संचालित नही करने के कारण निष्पादित कर दिया गया। इसके अतिरिक्त आवेदक द्वारा कोई अग्रिम जमानत आवेदन इस न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय, पटना मे दाखिल नही किया गया है। आवेदक का कोई अपराधिक इतिहास नही है। आवेदक द्वारा मारपीट की घटना नही किया गया है तथा न ही दहेज की मांग किया गया है। उभय पक्षो के बीच सुलह हो गयी है तथा उभय पक्षो की ओर से संयुक्त आवेदन दाखिल किया गया है। आगे विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत देने हेतु अनुरोध किया गया।

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–3169/2025

लगातार
18.04.2026

विद्वान अपर लोक अभियोजक, वैशाली, हाजीपुर उपस्थित है तथा परिवादनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत का विरोध नही किया गया तथा कथन किया गया कि दोनो पक्षकार मुकदमा को जारी रखना नही चाहते है।

अग्रिम जमानत आवेदन पर उभय पक्षो को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। परिवादनी आज न्यायालय मे उपस्थित है तथा वह एक मुश्त समाधान के तौर पर परस्पर समझौता के आधार पर 20,000/– रूपये प्राप्त करके आदेश फलक के पास मे हस्ताक्षर भी कर दी है तथा इस बात की अण्डरटेकिग देने के लिए तैयार है कि वह स्वयं आकर बिना नोटिस का इंतजार किए समझौता के आलोक मे साक्ष्य देकर मामले को समाप्त करा लेगी। अतः उपरोक्त तथ्यो एवं परिस्थितियो के आलोक मे आवेदक का अग्रिम जमानत स्व. ीकृत किया जाता है।

फलस्वरूव आवेदक को निर्देश दिया जाता है कि दो सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करे तथा 10,000/– (दस हजार रूपये) के दो जमानतदार का बंधपत्र दाखिल किए जाने पर अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने का आदेश दिया जाता है।

–Sd-
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम–
–सह–विशेष न्यायाधीश,
वैशाली, हाजीपुर।

Date of Judgment/Order	18-04-2026
Date of Reserving Judgment/Order	18-04-2026
Uploading Date	30-04-2026
Uploaded by	Pankaj Kumar

Web Copy not Official